

प्रश्नक,

शिव प्रकाश गुप्त,  
संयुक्त सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

सचिव,  
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,  
शिक्षा केन्द्र-2, समदायकेन्द्र,  
पी.टी. विहार, नई दिल्ली ।

शिक्षा 171 अनुभाग

लखनऊ: दिनांक: 21 जून, 2005

विषय:- तक्षशिला पब्लिक स्कूल श्रद्धापुरी फेज-1, कंकरखेड़ा, भेरठ को सी०बी०एस०ई० नईदिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाना ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करतें हुये मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि उक्त संदर्भित विद्यालय को सी०बी०एस०ई० नईदिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार की निम्नलिखित प्रातिबंधों के अधीन अनापत्ति नहीं है :-

- 111 विद्यालय की प्रंजीकृत सौसायटी का सम्य-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा ।
- 121 विद्यालय की प्रबंध समिति में माहा निर्देशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।
- 131 विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उ०प्र०मा० शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।
- 141 संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद अथवा बेसिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की संबद्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/कौंसिल फार दि हाण्डयन स्कूल सटी फिनेट इक्वायमेन्ट नईदिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा वर्ष से उक्त केन्द्रीय परिषदों की संबद्धता प्राप्त होने की तिथि से उ०प्र०मा० माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेंगे ।

-----2-----

  
Principal  
Taxsila Public School  
Shradhapuri, Kanker Khera  
Meerut Cantt.

  
MANAGER  
TAXSILA PUBLIC SCHOOL  
Ph-I, Sec-2, Shradhapuri  
Kanker Khera, Meerut

- 151 संस्था के शैक्षिक एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे ।
- 161 कर्मचारियों की सेवा शर्तों बनायी जायेगी और उनमें सहायता प्राप्त आशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की अनुमन्य सेवा-निकृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे ।
- 171 राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश विर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी ।
- 181 विद्यालय की रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजिकाओं में रखा जायेगा ।
- 191 सक्त शर्तों में राज्य सरकार तैयार/सुझावों के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्तन नहीं किया जायेगा ।

उक्त प्रतिबंधों का पालन करना संस्था के लिए अतिवार्थ होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबंधों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की वृद्ध या शिथिलता करती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा ।


भवदीय,


§ शिवप्रकाश गुप्त §  
संयुक्त सचिव ।

पू०सं०स्व० दिनांक तदैव

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश ।
- 2- मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, मेरठ ।
- 3- जिला विद्यालय निरीक्षक, मेरठ ।
- 4- निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विद्यालय, उ०प्र०, लखनऊ ।
- 5- प्रबंधक, तक्षशिला पब्लिक स्कूल श्रद्धापुरी फेज-1, कंकरखेड़ा, मेरठ ।
- 6- गार्ड बुक ।

  
Principal  
Taxsila Public School  
Shradhapur, Kanker Khara  
Meerut Cantt.

आज्ञा से,  
  
§ शिव प्रकाश गुप्त §  
संयुक्त सचिव ।

  
MANAGER  
TAXSILA PUBLIC SCHOOL  
Ph-I, Sec-2, Shradhapuri  
Kanker Khara, Meerut